स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 341, दिनांक 20–11–2024

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय गिरफ्तार।

दिनांक 20–11–2024 को एसटीएफ उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय को बलिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अंकित कुमार पाण्डेय पुत्र सुशील पाण्डेय निवासी बाराचवर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।
2– नगद 250/रूपये

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

रेलवे स्टेशन, बलिया थाना क्षेत्र जी0आर0पी0 जनपद बलिया। दिनांक 20.11.2024

अवैध कारतूस की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पूर्वांचल में सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी की टीम जनपद बलिया में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना जी0आर0पी0 बलिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2024 धारा 3/25/111(3) आर्म्स एक्ट में वांछित रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित कारतूस तस्कर अंकित कुमार पाण्डेय बलिया रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर अंकित कुमार पाण्डेय उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गांव नसीरपुर कटरिया के रहने वाले रोशन यादव के साथ पढता था और दोनों अच्छे दोस्त थे। इन दोनों के साथ पढ़ने वाले कुछ लडके काशी विद्यापीठ वाराणसी में पढ़ते थे, जिनसे ये दोनों प्रायः मिलने जुलने के लिये आते–जाते रहते थे। इसी दौरान इन दोनो की दोस्ती मिर्जापुर की रहने वाली एक लडकी से हो गया। रोशन यादव ने वाराणसी मे एक किराये का मकान लेकर वही पर उक्त महिला मित्र को रखवाया था, जहॉ पर इन दोनों का प्रायः आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान इन दोनों की जान पहचान कारतूस की तस्करी करने वाले जनपद जौनपुर के शुभम सिंह से हो गयी। शुभम सिंह ही इन दोनों को कारतूस लाकर जनपद जौनपुर के शाहगंज में देता था। यह दोनों उक्त अवैध कारतूस को ले जाकर बिहार के अपराधियों को ऊॅचे दामों पर बेच देते थे। गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय दिनांक

15–10–2024 से 23–10–2024 के बीचे दो बार में 750 कारतूस ले जाकर बिहार के अपराधियों को बेचा था। दिनांक 23–10–2024 को अंकित कुमार पाण्डेय, रोशन सिंह एवं इनकी महिला मित्र 750 कारतूस लेकर बिहार के अपराधियों को बेचने जा रहे थे। किसी को संदेह न हो इसलिये कारतूस लेकर महिला मित्र को दूसरे बोगी में बैठाये थे और अंकित कुमार पाण्डेय व रोशन यादव पीछे के बोगी में बैठे थे। जी0आर0पी0 बलिया पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनके महिला मित्र को कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया था तथा यह दोनो मौके से फरार हो गये थे। इस संबंध में थाना जी0आर0पी0 बलिया में आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें अंकित कुमार पाण्डेय वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित कुमार पाण्डेय को मु0अ0सं0 46/2024 धारा 3/25/111(3) आर्म्स एक्ट में थाना जी0आर0पी0 बलिया में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।